



NMC पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर (व्यावसायिक आचरण) वनियम 2023

प्रलिस के लयः

राष्ट्रीय चकतिसा आयोग, जेनेरक ओषधयिँ

मेन्स के लयः

भारत में चकतिसा शकषा और स्वास्थय देखभाल में परविरतन लाने में राष्ट्रीय चकतिसा आयोग का योगदान, जेनेरक दवाओं से संबंघत नैतिक और कानूनी वमिरश

चर्चा में क्योँ?

हाल ही में भारत में चकतिसा शकषा और अभ्यास के लयः सर्वोच्च नयामक संस्था, राष्ट्रीय चकतिसा आयोग ने डॉक्टरों के लयः पेशेवर आचरण संबंघी नए दशा-नरिदेश जारी कयि है, इन नरिदेशों के अनुसार उन्हें वशिषिट कंपनयिँ की दवाओं के बजाय केवल जेनेरक दवाएँ लखिना अनविर्य है।

- इस कारण देश में डॉक्टरों की सबसे बड़ी संस्था इंडयिन मेडिकल एसोसिएशन ने इन दशा-नरिदेशों को "अवैज्जानक" और "अव्यावहारक" बताते हुए वरिध प्रदर्शन शुरू कर दयि है।

राष्ट्रीय चकतिसा आयोग के दशा-नरिदेशः

- सोशल मीडयिा उपयोग दशा-नरिदेशः**
 - डॉक्टर सत्यापन योग्य और वशिषसनीय जानकारी ऑनलाइन प्रदान कर सकते हैं।
 - रोगी के उपचार की जानकारीयिँ पर चर्चा करने अथवा रोगी स्कैन साझा करने पर प्रतबिध।
 - रोगी प्रशंसापत्र, चत्रि और वीडयिो साझा करने पर प्रतबिध।
 - सोशल मीडयिा के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोगयिँ से आग्रह करने पर रोक।
- उपचार से इनकार करने का अधिकारः**
 - डॉक्टर दुर्व्यवहार करने वाले, अनरिंतरति या हसिक रोगयिँ तथा रशितेदारों का उपचार करने से इनकार कर सकते हैं।
 - यद रोगी इसका व्यय वहन नहीं कर सकता तो डॉक्टर इलाज से इनकार कर सकते हैं, लेकनि चकतिसीय आपात स्थति में नहीं।
 - लगि, नसल, धरम, जाति, सामाजिक-आर्थिक कारणों के आधार पर भेदभाव पर प्रतबिध।
- प्रसिक्रपिशन एवं दवा दशा-नरिदेशः**
 - प्रसिक्रपिशन, बड़े अक्षरों में लखि जाने चाहयि।
 - वशिषिट मामलों को छोड़कर, जेनेरक दवाइयों नरिधारति की जानी चाहयि।
 - नशिचति खुराक संयोजनों का वविकपूर्ण उपयोग के साथ केवल अनुमोदति संयोजनों को नरिधारति करना।
 - जेनेरक तथा ब्रांडेड दवाओं की समानता के बारे में शकषा को प्रोत्साहति करना।
- सतत् व्यावसायिक वकिस (CPD):**
 - डॉक्टरों के लयः अपने सक्रयि वर्षों के दौरान सीखना जारी रखना अनविर्य है।
 - डॉक्टरों को प्रत्येक पाँच वर्ष में अपने संबंघति कषेत्रों में 30 क्रेडिट प्वाइंट लेने चाहयि।
 - वार्षिक CPD सत्र की सफिरशि की जाती है, जसिमें अधिकतम 50% ऑनलाइन प्रशकषण आयोजति हो।
 - मानयता प्राप्त डगिरयिँ तथा पाठ्यक्रमों को राष्ट्रीय चकतिसा रजसिटर में जोड़ा गया।
- सम्मेलन भागीदारी दशा-नरिदेशः**
 - CPD सत्र या सम्मेलन फारमास्यूटकिल उद्योग द्वारा प्रायोजति नहीं कयि जा सकते।
 - डॉक्टरों को फारमा प्रायोजकों के साथ तीसरे पक्ष की शैक्षणिक गतवधियिँ में भाग नहीं लेना चाहयि।

- डॉक्टरों या उनके परिवारों को फार्मास्यूटिकल कंपनियों से उपहार, आतिथ्य, नकद या अनुदान नहीं मलिनल चाहलल ।
- रेफरल या समर्थन के ललल डलयग्नोसटकल सेंटर, चकलतलसल उपकरण आदल से कमीशन स्वीकार करने पर प्रतर्बलध लगलनल चाहलल ।

रलषु्टरीय चकलतलसल आयोग:

▪ परचलय:

- NMC, वरष 2019 में स्थापतल एक वैधानकल नकलय है, जसलने मेडकल कलंसल ऑफ इंडलल (Medical Council of India-MCI) कल स्थलन ललय है तथल रलषु्टरीय चकलतलसल आयोग अधनलयम (National Medical Commission Act), 2019 के तहत करलय करतल है । यह चकलतलसल शकलषल के ललय भरत के नलयमक नकलय के रूप में करलय करतल है ।

▪ लकष्य और दूरदरशतल:

- यह देश के सभी भलगों में परलयपुत एवं उच्च गुणवतुतल वलले चकलतलसल पेशेवरों कल उपलबधतल सुनशलचतल करतल है ।
- यह नलयसंगत और सलरवभौमकल स्वलस्थ्य देखभलल को बढवल देतल है जो सलमुदलयकल स्वलस्थ्य परपलरेकष्य को प्रोत्सलहतल करतल है तथल चकलतलसल पेशेवरों कल सेवलओं को सभी नलगरकलओं के ललय सुलभ बनलतल है ।
- चकलतलसल पेशेवरों को अपने कलम में नवलनतम चकलतलसल अनुसंधलन को अपनाणे तथल अनुसंधलन में योगदलन देने के ललय प्रोत्सलहतल करतल है ।
- चकलतलसल सेवलओं के सभी पहलुओं में उच्च नैतकल मलनकों को लगू करतल है ।
- इसके पलस मेडकल पलठ्यकरमों के ललय फीस को वनलयमतल करने और यह सुनशलचतल करने के ललय मेडकल कॉलेजों कल नरीकषण करने कल भी अधकलर है कवल वै आवश्यक मलनकों को पूरल करते हैं ।

NMC दशल-नरलदेश:

▪ जेनेरकल मेडसलनल के नरलदेश:

- डॉक्टरों दवलरल उठलई गई मुख्य चतलओं में से एक भरत में उपलबध जेनेरकल दवलओं कल गुणवतुतल और प्रभलवकरतल है ।
 - उनकल दवल है कल जेनेरकल दवलओं के मलनकलकरण और वनलयमन कल अभलव है तथलउनमें से कई दवलइयल अवमलनक, अवैध यल जलली हैं ।
- IMA के अनुसलर, भरत में नरलमतल 0.1% से भी कम दवलओं कल गुणवतुतल कल परीकषण कलय जलतल है । डॉक्टरों कल तरक है कल जेनेरकल दवलओं कल गुणवतुतल और सुरकषल सुनशलचतल कलय बनल उनहें लखलनल रोगी कल देखभलल तथल परणलमों से समझूतल कर सकतल है एवं उनहें कलनुनी और नैतकल जोखमलं में डलल सकतल है ।
 - उनकल यह भी कहनल है कल भरत में जेनेरकल दवलओं के प्रतकूल प्रभलव यल डरग इंटरेकशन कल नगरलनी के ललय कोई तंतर नही है ।
- नए दशल-नरलदेश डॉक्टरों को एक वशलषलट बरलंड लखलने कल अनुमतल नही देते हैं, जसकल अरथ है कल आपको फलरमलसलसलट स्टलक में प्रलसंगकल सकरलय घटक वलली कोई भी दवल मललंगी ।
 - इसके अतरकलत कलसी मरीज के ललय सबसे उपयुक्त दवल नरलधलरतल करने में डॉक्टरों कल पसंद प्रतर्बलधतल हो सकती है, जसलसे संभलवतल रूप से उपचलर कल प्रभलवकरतल प्रभलवतल हो सकती है ।
- डॉक्टरों कल यह भी आरुप है कल दवल नरलमतलओं, थोक वकलरेतलओं, खुदरल वकलरेतलओं और नलयमकों के बीच एक समझूतल है, जो घटलय तथल नकली दवलओं को बलज़लर में प्रवेश करने कल अनुमतल देतल है ।
 - उनकी मलंग है कल सरकर कल जेनेरकल दवलओं को नुसखे के ललय अनवलर्य बनलने से पहले उनकल सखत गुणवतुतल नरलतरण और परीकषण सुनशलचतल करनल चाहलय ।

▪ अन्य मुददे:

- CPD सतुरों के मलधयम से करेडलट अंक जमल करने के ललय डॉक्टरों पर अतरकलत बूझ डललनल ।
 - CPD आवश्यकतलओं को पूरल करने हेतु डॉक्टरों के ललय मलन्यतल प्रलपुत नरलतर प्रशकलषण पलठ्यकरमों कल सीमतल उपलबधतल ।
- फलरमलसलसलट उदयुग के प्रलयोजन पर रोक के करण शैकषकल सतुर कम हो गए ।
 - चकलतलसल प्रगतल और अनुसंधलन के प्रतर्डॉक्टरों के प्रदरशन पर प्रभलव ।
- डॉक्टरों ने वलयपक दशल-नरलदेशों के पललन के करण प्रशलसनकल बूझ बढने पर चतल वयकत कल है ।
 - वभलनलन स्वलस्थ्य देखभलल सेटगलस में डॉक्टर दवलरल सलमनल कल जलने वलली वलयवहलरकल चुनूतलयों के सलथ नैतकल आचरण को संतुलतल करनल ।
- उन स्थतलयों को स्पषुट रूप से चतलरतल करने में चुनूतलयों, जनलमें डॉक्टर नैतकल रूप से उपचलर से इनकलर कर सकते हैं ।
 - मरीजों कल भुगतलन करने कल कषमतल के आधलर पर डॉक्टरों दवलरल इललज से इनकलर करने से उत्पन्न होने वलली कलनुनी और नैतकल चतललएँ ।

आगे कल रलह

- अधकल परीकषण प्रयोगशलललएँ स्थापतल करके, नलयमतल नरीकषण करके, सखत दंड लगलकर और दवल कल गुणवतुतल के ललय एक रलषु्टरीय डेटलबेस बनलकर जेनेरकल दवलओं कल गुणवतुतल एवं सुरकषल बढलनल ।

- डॉक्टरों और मरीजों को **जेनेरिक दवाओं के फायदे व नुकसान के वषिय में शक्ति करे**, वैज्ञानिक प्रमाणों का उपयोग करे, मथिकों को दूर करे तथा तर्कसंगत दवा पद्धतियों को बढ़ावा दे।
- **चकित्सा संस्थानों और पेशेवर नकियाँ को नयिमति CPD सत्र** आयोजति करने के लयि प्रोत्साहति करे जो चकित्सा प्रगतिकी एक वसित्त शृंखला को शामिल करते है।
- **NMC, चकित्सकों, फार्मास्यूटिकल उद्योग के प्रतनिधियों और मरीज समर्थन समूहों** के बीच खुली चर्चा तथा परामर्श की सुवधि प्रदान करे।
- उभरती चुनौतियों का समाधान करने और नैतिक रोगी देखभाल सुनिश्चति करने हेतु दशा-नरिदेशों को परषिकृत एवं अनुकूलति करने के लयि चल रहे फीडबैक तथा सुझावों के लयि मंच बनाए।

स्रोत: इंडियन एकस्प्रेस

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/nmc-registered-medical-practitioner-professional-conduct-regulations-2023>

